न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/182/2017

उनवान

1. विनोद पिता गोदपुत्र उदा कुम्हार निवासी लुहारी कला, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. रतनी पिता उदा कुम्हार पत्नी रघुवीर कुम्हार निवासी बिलेठा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. बरदा पिता घासी कुम्हार निवासी लुहारी कला, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. छोटू पिता घासी कुंम्हार मृतक के बजाय :–
   3/1 मोहिनी देवी पत्नी छोटू कुम्हार लुहारी कला, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
   3/2 हरपू पुत्री स्व0 छोटू कुम्हार पत्नी नवलकिशोर निवासी टीकडदा तहसील हिण्डोल जिला बून्दी
   3/3 सुमित्रा पुत्री स्व0 छोटू कुम्हार पत्नी शंकर लाल निवासी पीपलूंद तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. नन्दु पत्नी काना कुम्हार लुहारी कला, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा
6. प्रबन्धक बी ओ बी शाखा अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
7. प्रबन्धक, बी आर आर बी ईटून्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 242/2015 निर्णय एवं निर्णय एवं अंतिम दिनांक 7.6.2017, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी एवं आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

अधिवक्तागण :-

1. श्री मनीष कांटिया, अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री नवरतन जोशी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 10.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादीया ने अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के विरूद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लुहारीकला में आराजी नम्बर 5083 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 5084 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 5085 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 5086 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 5087 रकबा 2 बीघा, 5088 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा , आराजी नम्बर 5089 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल कीता 7 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि में वादिया का 1/4 , बरदा, काना छोटू पिता घासी 3/4 कुम्हार खातेदारी से सामलाती राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । खातेदार काना की मृत्यु हो चुकी है जिसकी पत्नी नन्दू को वाद में पक्षकार बनाया गया है काना का पुत्र जगदीश की भी मृत्यु हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी सामलाती होकर इसका बंटवाडा विधिसंगत रूप से नहीं हो रखा है। प्रतिवादी छोटू व इसका पुत्र विनोद शक्ति के बल पर अवैध रूप से पिछले वर्ष से वादीया के हक व हिस्से की

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी भूमि पर जबरन काबिज है एवं फसल बुआई के समय दिनांक 15.7.2015 को वादीया ने मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा करा भूमि को अलग–अलग राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये जाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिससे वाद हैतुक दिनांक 15.7.2015 से उत्पन्न होकर जारी है। अतः हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का गुणावगुण के आधार पर बंटवाडा करा वदिया की 1/4 हिस्से की भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे व उक्त बंटवाडा अनुसार वादिया को मौके पर कब्जा दिलाये जाने की डिक्री बहक वादिया पारित की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी/प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने विभाजन एवं घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया । उक्त वाद पत्र वादिया ने तथ्यों को छिपाते हुए किया एवं प्रकरण में अपीलार्थी/प्रार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया । जबकि अपीलार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 रतनी के पिता उदा का गोद पुत्र है । इस तथ्य की जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया को होने के बावजूद अपीलार्थी/प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी/प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रार्थी जो कि उदा जी का गोद पुत्र होकर विधिक वारिसान है । अपीलार्थी का उदा जी की मृत्यु के पश्चात एवं उनके जीवनकाल में उदा जी की सम्पूर्ण आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिससे अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल होकर न्यायोचित है जिससे वह अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। विभाजन के वाद में प्रत्येक पक्षकार को सुना जाना कानूनन आवश्यक है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति एवं सुनवाई का अवसर दिया जावे।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने उदा जी के दत्तक पुत्र होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उदा जी ने अपीलार्थी/प्रार्थी को कभी गोद नहीं रखा । प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया उदा जी की पुत्री होकर एकमात्र विधिक वारिसान है। वादग्रस्त आराजी पर कभी भी अपीलार्थी/प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद विभाजन बाबत था। उस समय जमाबंदी में अंकित सभी खातेदरान को वाद में पक्षकार बनाया गया था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सपठित आदेश 1 नियम 10 सी पी सी खारिज की जावे।

7. हमनें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सपठित आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी पर उभयपक्ष की बहस सुनी। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत यथा गोदनामा, गोद रखे जाने संबंधी रीति-रिवाज के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है एवं न ही बहस के समय ही इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलार्थी ने अपील में अपने

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आपको उदा जी का दत्तक पुत्र होना बताया है जबकि अपीलार्थी के प्राकृतिक पिता छोटू पिता घासी कुम्हार है। अपील में बनाये गये पक्षकार के अनुसार छोटू जी की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके वारिसान के रूप में उनकी पत्नी मोहिनी देवी, पुत्री हरपु, सुमित्रा पुत्री को पक्षकार बनाया गया है। उनके कोई पुत्र संतान का नाम नहीं लिखा गया है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थी ही छोटू जी का पुत्र था तो छोटु जी के एक पु.त्र होने की दशा मे छोटु जी अपने इकलौते पुत्र को गोद नहीं रख सकते थे। अपीलार्थी ने अपने कथनों को साक्ष्य व सबूत से साबित नहीं कराया है। साथ ही प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा एक वाद प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या 1 रतनी के हिस्से में से उदा के गोद पुत्र होने की हैसियत से खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अधीनस्थ न्यायालय में पृथक से प्रस्तुत किया हुआ है । उक्त प्रकरण में यदि अंतिम निर्णय अपीलार्थी/प्रार्थी के पक्ष में होता है तो स्वतः ही पृथक से विभाजन का वाद ला सकेगा। वर्तमान स्टेज पर प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को स्वीकार करने का कोई कारण हम नहीं पाते हैं।

8. अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को खारिज किया जाता है।

9. आदेश आज दिनांक 10.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

[Signature] 10/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा